



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1163]

नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 5, 2005/कार्तिक 14, 1927

No. 1163]

NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 5, 2005/KARTIKA 14, 1927

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2005

का.आ. 1567(अ).—केन्द्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 54) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बीज समिति के साथ परामर्श करने के पश्चात् बी.टी. (वैसिलस थुरिन्जिएन्सिस) कपास बीज पर लेबल लगाने के लिए बी टी (वैसिलस थुरिन्जिएन्सिस) कपास बीज के लॉट में 90 प्रतिशत के रूप में बी टी (वैसिलस थुरिन्जिएन्सिस) प्रोटीन (टॉक्सिन) की जीन अभिव्यक्ति की मात्रा के निबंधनों के अनुसार शुद्धता विनिर्दिष्ट करती है।

2. यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 17-8/2005-एसडी IV]

एस. एल. भट्ट, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2005

S.O. 1567(E).—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Seeds Act, 1966 (Act 54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee hereby specifies the purity in terms of quantum of gene express of *Bascillus thuringinisis* (Bt.) Protein (Toxin) as 90 per cent in *Bascillus thuringinisis* cotton seed lot for labelling of *Bascillus thuringinisis* Cotton Seed.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 17-8/2005-SDIV]

S. L. BHAT, Jt. Secy.